राजस्व अपील प्राधिकारी, भरतपुर

पीठासीन अधिकारी :– श्री जे.एन.मथुरिया(आर.ए.एस.)

आर.सी.एम.एस 2018/00017

अपील संख्या 5/2018 (आर.टी.ए. 223)

उनवान

1. दीवान सिंह पुत्र जवाहर सिंह जाति जाट निवासी साबौरा तहसील कुम्हेर जिला भरतपुर।
2. रामगोपाल सिंह पुत्र जवाहर सिंह जाति जाट निवासी साबौरा तहसील कुम्हेर जिला भरतपुर।
3. महेन्द्र सिंह पुत्र जवाहर सिंह जाति जाट निवासी साबौरा तहसील कुम्हेर जिला भरतपुर।
4. वीरेन्द्र सिंह पुत्र जवाहर सिंह जाति जाट निवासी साबौरा तहसील कुम्हेर जिला भरतपुर।
5. सोनपाल सिंह पुत्र जवाहर सिंह जाति जाट निवासी साबौरा तहसील कुम्हेर जिला भरतपुर।
6. भगवान सिंह पुत्र जवाहर सिंह जाति जाट निवासी साबौरा तहसील कुम्हेर जिला भरतपुर।

.....अपीलांटस

बनाम

1. सूरजभान पुत्र श्रीया जाति जाटव निवासी ग्राम साबौरा तहसील कुम्हेर जिला भरतपुर।

..... रेस्पोडेन्ट

अपील विरूद्ध निर्णय एवं डिक्री तारीख 12.01.2018 व उनवानी मुकदमा दीवान सिंह बनाम सूरजभान सिंह प्रकरण संख्या 214/15 न्यायालय सहायक कलक्टर कुम्हेर।

उपस्थिति :– वकील अपीलांट श्री तालेराम एड.

वकील रेस्पो0 श्री विजय सिंह झारौटिया एड.

जे० एन० मथुरिया
राजस्व अपील अधिकारी
भरतपुर (राज.)

निर्णय दिनांक 12.09.2018

यह अपील अपीलार्थी द्वारा इस आशय की पेश की गई है कि आराजी खसरा नम्बर 30/0.35, 41/0.39, 89/0.26 किता 3 रकबा 1.00 है0 वाके ग्राम दारापुरा में स्थित हैं। जिसे आगे विवादित आराजी कहा गया है। विवादित आराजी बाबत् अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय से व्यथित होकर यह अपील पेश की गई है।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर प्रत्यर्थीगण को तलब किया गया एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली मंगाई गई।

बहस उभयपक्ष सुनी गई।

दौराने बहस वकील अपीलार्थी ने अपील के तथ्यो को दोहराते हुये प्रकट किया कि विवादित आराजी पैतृक आराजी है और अपीलार्थी उस पर काबिज होकर काश्त करते चले आ रहे है। जिसमें वादीगण के खातेदारी अधिकार प्राप्त हो चुके है। प्रतिवादी का उक्त आराजी से कोई संबंध सरोकार नहीं है। विवादित आराजी अनुसूचित जाति/जन जाति की नहीं है। जिस पर धारा 42 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम लागू नहीं होता वादीगण की खातेदारीकी आराजी को राजस्व कर्मचारीयों की गलती से प्रतिवादी के नाम इन्द्राज कर दिया है। अधीनस्थ न्यायालय नें वादी अपीलार्थी का वाद रेसज़ूडिकेटा में 07 R 11 के तहत खारिज किया जबकि रेसजूडिकेटा विधि एंव तथ्य का मिला जुला प्रश्न है जिसका निर्णय वाद कायमी तनकीयात एवं साक्ष्य के उपरांत ही किया जा सकता है। अतः अपील अपीलार्थी स्वीकार की जावे। अपने पक्ष के समर्थन में वकील अपीलार्थी नें निम्न न्यायिक दृष्टांत पेश किये है।

1. आर.बी.जे 2011(18) पेज 742
2. आर.आर.टी. 2015(1) पेज 204

बचाव में वकील प्रत्यर्थी ने निवेदन किया कि प्रत्यर्थी विवादित आराजी का खातेदार काश्तकार दर्ज है। प्रतिवादी अनुसूचित जाति का है और वादीगण दबंग लठैत है जो प्रतिवादी की जमीन पर जबरन कब्जा करना चाहते है। इसी जमीन बाबत् पूर्व में भी निर्णय हो चुका है। अतः अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय में कोई त्रुटि नहीं होने से अपील खारिज की जावें।

बहस उभयपक्ष एवं पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है, कि अधीनस्थ न्यायालय नें वाद रेसजूडिकेटा नें खारिज किया है। वकील अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांत पूर्णतः चस्पा होते है। अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री अपास्त किये जाते है एवं प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इस निर्देश के साथ

जे० एन० मथुरिया
राजस्व अपील अधिकारी
भरतपुर (राज.)

प्रतिप्रेषित किया जाता है कि प्रकरण में तनकीयात कायम कर साक्ष्य के आधार पर निर्णय पारित किया जावें। उभय पक्ष 15.10.2018 को अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित रहें।

राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर

यह आदेश आज दिनांक 12.09.18 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर